

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1204
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नौकरियों का खोना

1204 श्री आनन्द शर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने के कारण अनुमानित कितनी नौकरियां चली गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) 25 मार्च से 1 सितंबर, 2020 के बीच का अलग-अलग मासिक विवरण क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस अवधि के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में अनुमानित कितनी नौकरियां चली गई है; और
- (घ) विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। देश कोविड-19 के खतरों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर तरीके से तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत आरंभ किया है जो युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार को राहत देने के लिए, 29 फरवरी, 2020 को बकाया ऋण की 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त ब्याज की रियायती दर पर सावधिक ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है। इकाइयों को स्वयं की कोई गारंटी या जमानत प्रदान नहीं करनी होगी।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए हैं। यह मानसून के मौसम में लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य के लिए कुल समाधानकारी आवश्यकता में लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने में मदद करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था एवं विशेष रूप से विनिर्माण एवं निर्माण में तरलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं:

- (i) सावधिक ऋणों/नकद क्रेडिट/ओवर-ड्राफ्ट की किस्तों के पुनर्भुगतान पर 31 अगस्त, 2020 तक ऋण स्थगन।
- (ii) मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों, जिनका ऋण 50,000 रु. से कम है, को 12 माह की अवधि हेतु तत्काल आदाताओं हेतु 2% का ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रु. की योजना।
- (iii) उधार देने/पुनः वित्तपोषण करने के लिए एसआईडीबीआई को 15,000 करोड़ रु. की विशेष पुनः वित्तपोषण सुविधा।
- (iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) हेतु 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना।
- (v) मानक लेखों एवं दबित लेखों (विशेष उल्लेख लेखा-0 एवं विशेष उल्लेख लेखा-1) हेतु 3 लाख करोड़ रु. की आपात क्रेडिट गारंटी।
- (vi) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाँड अथवा ए ए एवं उससे नीचे की रेटिंग वाले वाणिज्यिक पत्रों के क्रय हेतु 20% प्रथम हानि को पोर्टफोलियों गारंटी हेतु 45,000 करोड़ रु. की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना-2.0।
- (vii) 200 करोड़ रु. तक के अधिप्रापण हेतु वैश्विक टेंडर पर प्रतिबंध।
- (viii) एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ रु. डालने के लिए एसएमए-2 एवं एनपीए खातों हेतु अधीनस्थ ऋण के लिए उधार गारंटी योजना।
- (ix) रेहड़ी पटरी लगाने वाले व्यक्तियों हेतु आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना, प्रधान मंत्री स्व-निधि, जिसमें ब्याज राजसहायता भी शामिल है।
- (x) एनबीएफसी एवं एमएफआई आदि के दायित्वों हेतु आंशिक उधार गारंटी योजना।
